







शा. अग्रसेन महाविद्यालय विल्ह में राज्य शासन द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों के तहत रैगिंग रोकने एवं उनके क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखने हेतु महाविद्यालय में स्टी रैगिंग कमेटी का गठन किया गया। सत्र 2016-17 में महाविद्यालय की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने हेतु समिति के सदस्यों का गठन निम्नानुसार किया गया -

नाम	पद	मौ. न.
डॉ. ए. एल. शाणे	संयोजक	
डॉ. श्रीमती दुर्गा चर्जी	सदस्य	
डॉ. ए.के. गिर	"	
श्री. ए.के. मिश्रा	"	
श्री आई.बी.एस. कंवर	"	
श्रीमती शुभा वर्मा	"	

समिति का प्रमुख उद्देश्य महाविद्यालय में रैगिंग रोकना व सम्बंधित शिकायतों को दूर करना है। छात्र-छात्राओं को जागरूक करना तथा ऐसे गतिविधियों में सम्मिलित होने पर कानून की जानकारी से अवगत कराना।

दिनांक 18.07.2016 को स्टी रैगिंग कमेटी की बैंक कोषर 2.30 बजे कक्ष क्र. 01 में आयोजित की गयी जिसमें समिति के सदस्यों द्वारा चर्चा कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये।

(1) समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि छात्र-छात्राओं को रैगिंग से सम्बंधित नियमों तथा कानूनों की जानकारी दिया जाय।

(03) जगती छात्र-छात्राओं को निर्गमों का पालन करने के हेतु जागरूक किया जाए।

(04) समिति के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि इंग्लिश से संबंधित जानकारी छात्र-प्रतिनिधि, कक्षा प्रतिनिधियों को अवगत कराकर कक्षा में कड़ाई से पालन किये जाने हेतु कहा जाए।

(05) समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यदि कोई छात्र बैगिंग में लिफ्ट पाया जाता है तो उनका प्रवेश निरस्त कर कक्षा में प्रवेश न दिया जाए।

(06) महाविद्यालय में प्रवेश के दौरान बैगिंग से सम्बंधित जानकारी एवं अनुशासनात्मक गतिविधियों के संबंध में शपथ पत्र भरवाया जाए।

अतः आज की बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न की जाती है।

उपस्थित सदस्य

(i) डॉ. ए.एल. साठे

(ii) डॉ. श्रीमती दुर्गा चटर्जी

(iii) डॉ. ए.के. गिरि

(iv) श्री ए.के. मिश्रा

(v) श्री. आई. बी.एस. कंवर

(vi) श्रीमती गुमा वमा

बैठक

आज दिनांक 10.08.2017 को महाविद्यालय में रैजिंग नियंत्रण समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित की गयी जिसमें शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों का पालन करते हुए रैजिंग छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय परिसर में अनुशासन व्यवस्था बनाये रखने हेतु जानकारी प्रदान किया जाय। इस हेतु निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए।

- |                             |          |  |
|-----------------------------|----------|--|
| (I) डॉ० ए० एल० साठे         | संयोजक   |  |
| (II) डॉ० ए० के० शर्मा       | सहसंयोजक |  |
| (III) श्री० आर० सी० अग्रवाल | सदस्य    |  |
| (IV) डॉ० एम० आर० भागर       | "        |  |
| (V) डॉ० ए० के० गिरि         | "        |  |
| (VI) श्री० सी० एल० पारले    | "        |  |
| (VII) श्रीमती दुर्गा चटर्जी | "        |  |

प्राचार्य  
शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय  
निम्ना जिला- बिलासपुर (उ.प्र.)

समिति के सदस्यों के द्वारा निम्नानुसार निर्णय लेकर प्रियान्वित करने हेतु छात्र-छात्राओं को जानकारी उपलब्ध करायी गयी कराये जाने हेतु निर्णय लिया गया।

(1) महाविद्यालय में नव प्रवेशित छात्र-छात्राओं को रैजिंग से सम्बंधित नियम तथा कानून के सम्बंध में कक्षा में उपस्थित होकर प्रदान किया जाय।

(2) यदि पूर्व छात्राओं/छात्रों को कही गयी बात जो किसी भी नवप्रवेशित विद्यार्थियों को अप्रिय लगे तथा महाविद्यालय के व्यवस्था के प्रतिफल हो तो बसकी रिक्तियत समिति से तत्काल करें।

उपस्थित सदस्य :-

भाज दिनांक 17.01.2018 को महाविद्यालय  
 रैगिंग नियंत्रण समिति के सदस्यों की बैठक  
 आयोजित की गयी जिसमें शासन से प्राप्त निर्देशों के  
 अनुसार छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय में रैगिंग संबंधी  
 किसी भी प्रक्रिया में शामिल न होने व अनुशासनात्मक  
 व्यवस्था बनाये रखने हेतु जानकारी प्रदान किया गया।  
 इसमें समिति के निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए -

- |    |                        |          |  |
|----|------------------------|----------|--|
| 01 | डॉ० ए० ए० साठे         | संयोजक   |  |
| 02 | डॉ० एम० धार० धागर      | सहसंयोजक |  |
| 03 | डॉ० ए० के० शर्मा       | सदस्य    |  |
| 04 | डॉ० ए० के० डारि        | "        |  |
| 05 | श्री ए० के० मिश्रा     | "        |  |
| 06 | श्रीमती करुणा गायकवाड़ | "        |  |

समिति के सदस्यों द्वारा निम्नानुसार निर्णय  
 लेकर क्रियान्वित करने हेतु छात्र-छात्राओं को समनगरी  
 उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्णय लिया गया -

- (1) सभी प्रवर्धित छात्र-छात्राओं को रैगिंग संबंधी  
 जानकारी प्रदान की गयी।
- (2) समिति ने यह भी निर्णय लिया की रैगिंग में  
 लिलत छात्र-छात्राओं का प्रवेश निरस्त कर  
 ई पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।
- (3) समिति ने यह भी निर्णय लिया की रैगिंग संबंधी  
 नियमों और कानूनों का पालन छात्र-छात्राओं  
 को कड़ाई से कराई है।

# उपरिचल सदस्य

- 01 डॉ. एल. एल. साठे
- 02 डॉ. एम. भा. भाग
- 03 डॉ. ए. के. राम
- 04 डॉ. ए. के. गिरि
- 05 श्री क. के. मिश्रा
- 06 श्रीमती लरुणा गायकवाड

AK DM




प्रोफेसर  
 शासकीय अकादमी महाराष्ट्र  
 विरहा जिला - विरहापुर (वि.रा.)



भाज दिनांक 15/07/2019 को महाविद्यालय में रैगिंग नियंत्रण समिति का गठन किया गया साथ ही रैगिंग नियंत्रण समिति की बैठक आयोजित की गयी। इस समिति में निम्नांकित सदस्य हैं -

- (i) डॉ. ए.एल. शाहदे - संयोजक
- (ii) डॉ. एम. आर. आगर - सह संयोजक
- (iii) डॉ. ए. के. रामा - सदस्य
- (iv) डॉ. ए. के. गिरि - " "
- (v) श्री. के. कनिष्ठा - " "

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों को रैगिंग से सम्बंधित जानकारी तथा वरिष्ठ विद्यार्थियों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बातलाप की जाती है जो मानवीय संवेदनों के ठस पहुँचाता हो तो इसकी जानकारी समिति के सदस्यों को अविलम्ब दिये जाने हेतु अवगत कराया गया। इस संबंध में यह भी बतसा शासन से प्राप्त दिशानिर्देशों का पालन हेतु जानकारी दी गई।

उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर -

कार प्रम

अप्रैल 2020 में कोरोना महामारी के कारण महाविद्यालय में कक्षाएँ स्थगित थीं। रथगन के कारण शालक के द्वारा पूर्ण लॉकडाउन रहा है। इस समय प्रवेशित छात्र-छात्राओं को पाठ्यक्रम की जानकारी एवं अध्यापन कार्य Online माध्यम से प्रदान करायी गयी।

- (i) डॉ० ए० एल० साठे - संयोजक
- (ii) डॉ० ए० के० शर्मा - सहसंयोजक
- (iii) डॉ० ए० आर० भागल - सदस्य
- (iv) डॉ० ए० के० गिरि - - - -
- (v) श्री० ए० के० मिश्रा - - - -

all Dh

प्रचारक  
शालक्रीय अकादमी महाविद्यालय  
बिलासपुर जिला - बिलासपुर (छ.प्र.)